



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.12.2024	<p>अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई।</p> <p>वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सदस्य सहायक कलक्टर कलेक्टर बाप (फलोदी) बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५ </p> <p style="text-align: center;">  अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५ </p>	

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठारसीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 298/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/78

दायर दिनांक :- 08.11.2023

निर्णय दिनांक :- 22.12.2024

1. मदनकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी खारा टावरीवाला तह बाप जिला फलोदी
-प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:निर्णय:-

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में प्रार्थीया की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 2773/807 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं और प्रार्थीया अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती उतर-पूर्व दिशा में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 807 रकबा 10.3599 हैक्टेयर भूमि ग्राम अणदासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2773/807 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जोन हेतु अप्रार्थी का खसरा नम्बर 807 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीया को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीया द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर बाप से बावड़ी बरसिंगा तक जाती है जिस कटाण रास्ते तक पहुंच के प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार -

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थायी तौर पर खसरा नंबर 2773/807 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 807 के किनारे से उपयोग में ले रहे हैं जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 2773/807 के निकटतम खसरा नंबर 807 के विपता कटाणी रास्ता है।
3. यदि खसरा नंबर 807 में से रास्ता दिया जाता है तो 1143 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया -

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अणदासर पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नंबर 807 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 1143 वर्ग मीटर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीया द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस्.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी)
उपनिर्देश अधिकारी
बाप (फलोदी)